**कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सम्पन्नित राज्य औद्यानिक मिशन कार्य–परिषद की 23वीं बैठक दिनांक 16.10.2014 का कार्यवृत्त।**

बैठक की उपस्थिति- संलग्न है।

कार्यवृत्त-

| एजेण्डा बिन्दु | प्रस्ताव | निर्णय |
|---|---|---|
| 1. राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 23.07.2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि। | राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 23.07.2014 में लिये गये निर्णयों पर जारी कार्यवृत्त संलग्न कर प्रस्तुत है। इस पर किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई है। कार्य परिषद से उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि निवेदित है। | कार्य-परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 23.07.2014 के जारी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। निर्देशित किया गया कि दो कार्य दिवस में बैठक की कार्यवृत्त जारी कराया जाय। |
| 2. राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 23.07.2014 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या का प्रस्तुतिकरण। | राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 23.07.2014 में लिये गये निर्णयों एवं जारी कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रस्तुत है। कार्य परिषद से अनुमोदन निवेदित है। | मिशन कार्यक्रमों के लक्ष्य पूर्ति की समय-सारणी आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत किया जाय और इस वित्तीय वर्ष की अवेशष अवधि में वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार फण्ड के उपयोग की वार्षिक शिड्यूलिंग कर ली जाय।<br>टिश्यूकल्चर केला की आपूर्ति जिन फर्मो द्वारा नहीं की गयी हैं, उनके विरूद्ध टेण्डर मे दिये गये शर्तों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आगामी बैठक में कार्यपरिषद को अवगत कराया जाय। |
| 3. राज्य औद्यानिक मिशन की वर्ष 2014-15 के सितम्बर माह तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का प्रस्तुतिकरण। | भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हेतु रू0 8000 लाख की कार्य योजना अनुमोदित की गयी है, जिसके सापेक्ष कुल धनराशि रु0 3999.91 लाख उपलब्ध है। वर्ष 2014-15 के माह सितम्बर तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रु0 932.65 लाख का व्यय हुआ है।<br>वर्ष 2014-15 में कार्यान्वित कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नवत् है :- | कार्य-परिषद प्रगति से अवगत हुई।<br>सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनके विश्वविद्यालय में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना, बागवानी मिशन के वित्तीय सहयोग से स्थापित की जा चुकी है। इस लैब संचालित करने हेतु रिकरिंग धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण लैब संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है। कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त के सम्बन्ध में भारत सरकार को अनुरोध पत्र भेज दिया जाय। |

| क्र. सं. | कार्यक्रम | इकाई | भौतिक | | वित्तीय (लाख रू0 में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | पूर्ति | लक्ष्य | पूर्ति |
| 1 | छोटी नर्सरी (सार्वजनिक क्षेत्र) | हे. | 2 | 0 | 30.00 | 0 |
| 2 | एक्रेडीटेशन नार्मस को प्राप्त करने हेतु पौधशाला का उच्चीकरण | सं. | 16 | 0 | 160.00 | 0 |
| 3 | टी.सी. लैब की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण | सं. | 2 | 0 | 70.00 | 0 |
| 4 | आलू एवं शाकभाजी बीज उत्पादन | हे. | 2750 | - 0 | 393.75 | 0 |
| 5 | सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना | सं. | 7 | 1 | 470.48 | 73.61 |
| 6 | नवीन उद्यान रोपण-पैरीनियल | हे. | 890 | 869.5 | 96.04 | 30.68 |
| 7 | नवीन उद्यान रोपण-नॉन पैरीनियल | हे. | 1819 | 1281 | 576.65 | 326.07 |
| 8 | द्वितीय वर्ष अनुरक्षण कार्यक्रम | हे. | 2427 | 2145.1 | 179.989 | 88.276 |
| 9 | तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्यक्रम | हे. | 1248 | 645.2 | 44.949 | 3.111 |
| 10 | मशरूम यूनिट (इन्टीग्रेटेड, स्पॉन, कम्पोस्ट) | सं. | 7 | 0 | 61.00 | 0 |
| 11 | पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम | हे. | 1350 | 0 | 475.00 | 0 |
| 12 | मसाला के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार | हे. | 1394 | 359.80 | 167.28 | 67.69 |
| 13 | जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेंट | हे. | 100 | 0 | 20.00 | 0 |
| 14 | संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस) | वर्ग | 145900 | 0 | 662.79 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | संरक्षित खेती (शेडनेट हाउस) | | 36000 | 0 | 127.80 | 0 |
| 16 | विगत वर्ष की लायबिल्टी (ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस) | | 115000 | 58000 | 512.53 | 211.35 |
| 17 | कास्ट ऑफ प्लान्टिंग मटीरियल | वर्ग मी. | 150000 | 0 | 269.50 | 0 |
| 18 | विगत वर्ष की लायबिल्टी (रोपण सामग्री) | | 57500 | 29000 | 90.43 | 42.63 |
| 19 | आई.पी.एम. प्रोत्साहन | हे. | 1500 | 0 | 18.00 | 0 |
| 20 | लीफ/टिश्यू एनालीसिस लैब | सं. | 1 | 0 | 10.00 | 0 |
| 21 | वर्मी कम्पोस्ट/वर्मी बेड की स्थापना | सं. | 337 | 0 | 26.96 | 0 |
| 22 | मौनवंश, मौनगृह व मौन उपकरण | सं. | 16160 | 0 | 140.80 | 0 |
| 23 | बागवानी में मशीनीकरण | सं. | 227 | 0 | 226.70 | 1.50 |
| 24 | फ्रन्ट लाइन डिमॉस्ट्रेशन | सं. | 4 | 16 | 145.03 | 0 |
| 25 | कृषक प्रशिक्षण/भ्रमण | सं. | 6750 | 0 | 275.00 | 22.00 |
| 26 | पैक हाउस | सं. | 26 | 0 | 67.50 | 0 |
| 27 | प्रीकूलिंग/मोबाइल प्रीकूलिंग यूनिट | सं. | 1 | 0 | 8.75 | 0 |
| 28 | कोल्ड रूम | सं. | 1 | 0 | 5.25 | 0 |
| 29 | कोल्ड स्टोरेज | सं. | 10 | 0 | 1382.50 | 0 |
| 30 | सी.ए./एम.ए. स्टोरेज यूनिट | सं. | 4 | 0 | 259.61 | 0 |
| 31 | मीनिमल प्रोसेसिंग/स्टोरिंग ग्रेडिंग यूनिट | सं. | 5 | 0 | 18.75 | 8.30 |
| 32 | राइपेनिंग चैम्बर | मी. टन | 385 | 2 | 226.97 | 37.97 |
| 33 | प्राइमरी/मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट | सं. | 4 | 0 | 40.00 | 0 |
| 34 | प्रिजर्वेशन यूनिट स्थापना/सुदृढ़ीकरण | सं. | 39 | 0 | 34.00 | 0 |
| 35 | प्याज स्टोरेज | सं. | 40 | 0 | 35.00 | 0 |
| 36 | प्रचार-प्रसार | सं. | 225 | 5 | 90.00 | 0.10 |
| 37 | सेमिनार/वर्कशाप | सं. | 77 | 0 | 181.00 | 0 |
| 38 | टी.एस.जी | | | | 19.00 | 0 |
| 39 | मिशन मैनेजमेंट | | | | 380.95 | 19.38 |
| | योग- | | | | 7999.958 | 932.667 |

*कार्य परिषद कृपया उक्तानुसार प्रगति से अवगत होना चाहें।*

**4. एस.एल.ई.सी. को प्राप्त प्राधिकार के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार।**

(क) **प्री-हार्वेस्ट के प्रस्ताव**

वर्ष 2014-15 की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित विभिन्न परियोजना आधारित कार्यक्रमों के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार किया जाना है। भारत सरकार द्वारा निर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन संचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश अप्रैल, 2014 के पृष्ठ सं0-30 पर अनुलग्नक-3 में एम.आई.डी.एच. योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन दिया गया है, तदनुसार इन परियोजना आधारित कार्यक्रमों की स्वीकृति का प्राधिकार राज्य स्तरीय कार्य परिषद को प्रदत्त किया गया है।

राजकीय एवं निजी क्षेत्र से प्राप्त ऐसे परियोजना प्रस्तावों को निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के पत्र सं0-8789-95 दिनांक 26.09.2013 द्वारा गठित प्राइमरी एप्रेजल कमेटी द्वारा निम्नलिखित चेक बिन्दु के आधार पर अप्रेज किया गया है। चेक बिन्दु के आधार पर उपयुक्त परियोजना प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

1- **ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना**

वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना में ग्रीन हाउस 145,900 वर्ग मीटर एवं शेडनेट हाउस 36,000 वर्ग मीटर का लक्ष्य निर्धारित है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 81868 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस एवं 17500 वर्ग मीटर शेडनेट हाउस के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त प्रस्तावों में से कुल 61788 वर्ग मी0 ग्रीन हाउस एवं 9500 वर्ग मी0 शेडनेट हाउस के प्रस्ताव उपयुक्त पाये गये हैं। परियोजना प्रस्तावों के प्री अप्रेजल के लिए गठित समिति द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त पाये गये प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया है।

कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देश दिये गये कि अन्य जनपदों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायें।

अप्रेजल के बिन्दु-

(1) निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र
(2) भू अभिलेख की छायाप्रति
(3) धनराशि व्यवस्था के सापेक्ष अभिलेखीय साक्ष्य
(4) स्ट्रक्चर का स्पेशिफिकेशन
(5) स्ट्रक्चर का आगणन
(6) रू. 10 के नोटराइज्ड स्टाम्प पर शपथ पत्र

(7) जनपदीय उद्यान अधिकारी की संस्तुति

(भौतिक वर्गमीटर में, वित्तीय लाख रू. में)

| क्र. सं. | कार्यक्रम का विवरण | अनुमन्य इकाई लागत | अनुदान पैटर्न | निर्धारित लक्ष्य 2014-15 | | स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक | परियोजना लागत | प्रस्तावित अनुदान |
| 1 | ग्रीन हाउस 500 वर्ग मीटर एरिया तक | रू. 1060 प्रति वर्ग मी. | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी | 25000 | 132.50 | - | - | - |
| 2 | ग्रीन हाउस 500 वर्ग मी0 से अधिक 1008 वर्ग मी0 तक | रू. 935 प्रति वर्ग मी0 | | 30000 | 140.25 | 13008 | 122.505 | 60.8124 |
| 3 | ग्रीन हाउस 1008 वर्ग मी0 से 2080 वर्ग मी0 तक | रू. 890 प्रति वर्ग मी0 | | 28000 | 124.60 | 11560 | 108.764 | 51.442 |
| 4 | ग्रीन हाउस 2080 वर्ग मी0 से 4000 वर्ग मी0 तक | रू. 844 प्रति वर्ग मी0 | | 62900 | 265.44 | 37220 | 341.075 | 157.068 |
| | **योग-** | | | **145900** | **662.79** | **61788** | **572.344** | **269.3224** |
| | शेडनेट हाउस 4000 वर्ग मी0 तक | रू. 710 प्रति वर्ग मी0 | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी | 36000 | 127.80 | 9500 | 67.450 | 33.725 |
| | **योग-** | | | **36000** | **127.80** | **9500** | **67.450** | **33.725** |
| 5 | ग्रीन हाउस में सब्जी खेती व रोपण सामग्री | रू. 140 प्रति वर्ग मी0 | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतन 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी | 80000 | 56.00 | 15000 | 22.450 | 10.500 |
| 6 | ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में पुष्प-कॉर्नेशन व जरबेरा की खेती व रोपण सामग्री | रू. 610 प्रति वर्ग मी0 | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी | 70000 | 213.50 | 35060 | 213.866 | 106.933 |
| 7 | ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में पुष्प-गुलाब व लिली की खेती व रोपण सामग्री | रू. 426 प्रति वर्ग मी0 | लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 4000 वर्ग मी0 प्रति लाभार्थी | - | - | 17220 | 62.827 | 31.4186 |
| | **योग-** | | | **150000** | **269.50** | **67280** | **299.143** | **148.8516** |
| | **महायोग-** | | | **331900** | **1060.09** | **138568** | **938.937** | **451.899** |

इस कार्यक्रम में प्रस्तावक द्वारा ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस का निर्माण एन.सी.पी.ए.ए.एच. भारत सरकार द्वारा निर्धारित तकनीकी मानक के अनुसार सूचीबद्ध फर्मों से करा लिये जाने के उपरान्त सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट) भारत सरकार से प्लास्टिक मैटीरियल का गुणवत्ता परीक्षण कराने एवं निदेशालय के पत्रांक 9378 दिनांक 23.01.[illegible] द्वारा तकनीकी सत्यापन हेतु गठित कमेटी से भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त लाभार्थी को

की प्रचलानात्मक दिशा-निर्देश में दी गयी व्यवस्था की शर्तों के साथ उक्त कार्यक्रम को करने की अनुमति दिया जाना है। *कृपया उक्त पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।*

1-(I) वर्ष 2013-14 में श्रीमती अनुराधा गोयल, मुजफ्फरनगर का 4000 वर्ग मी0 में ग्रीन हाउस निर्माण अनुदान धनराशि रू. 18.70 लाख एवं 2000 वर्ग मी0 में सब्जी उत्पादन अनुदान धनराशि रू. 1.05 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। स्वीकृत प्रस्ताव के सापेक्ष लाभार्थी द्वारा ग्रीन हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उसमें जरवेरा पुष्प का रोपण कराया गया है। स्वीकृत प्रस्ताव के सत्यापन हेतु गठित कमेटी द्वारा ग्रीन हाउस निर्माण एवं जरवेरा पुष्प के रोपण का सत्यापन कर लिया गया है। लाभार्थी श्रीमती अनुराधा गोयल के पत्र दिनांक 02.10.2014 द्वारा उनके ग्रीन हाउस में 2000 वर्ग मी0 सब्जी उत्पादन अनुदान धनराशि रू. 1.05 लाख के स्थान पर 2000 वर्ग मी. जरवेरा पुष्प हेतु अनुमन्य अनुदान धनराशि रू. 5.00 लाख दिये जाने की मांग की गयी है।

निदेशालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति की संस्तुति के आलोक में लाभार्थी द्वारा पॉली हाउस में उगाये गये फसलों के अनुसार अनुमन्य अनुदान की धनराशि दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

जनपद-गाजियाबाद के श्री योगेन्द्र पाल कसाना का वर्ष 2013-14 में 1000 वर्ग मी0 ग्रीन हाउस निर्माण अनुदान धनराशि रू. 4.675 लाख एवं 500 वर्ग मी0 में सब्जी उत्पादन अनुदान धनराशि रू. 0.2625 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। लाभार्थी द्वारा अभी तक ग्रीन हाउस का निर्माण नहीं कराया गया है तथा 500 वर्ग मी0 में सब्जी उत्पादन अनुदान धनराशि रू. 0.2625 लाख के स्थान पर 500 वर्ग मी. जरवेरा पुष्प के लिए अनुमन्य अनुदान धनराशि रू. 1.25 लाख स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना में विगत वर्ष में क्रियान्वित कार्यक्रम के सापेक्ष लम्बित दायित्वों के भुगतान हेतु भौतिक लक्ष्य 57500 वर्ग मी0 के सापेक्ष धनराशि रू. 90.43 लाख निर्धारित है। अतः निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उक्तानुसार फसल परिवर्तन पर अनुमोदन प्रदान किया जा सकता है। *कृपया उक्त पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।*

लाभार्थी द्वारा जरवेरा पुष्प उत्पादन पर अनुदान दिये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी कि निदेशालय स्तर से तकनीकी समिति द्वारा सत्यापन कराकर ही स्वीकृत अनुदान दिया जाय।

2- विभाग के आलू बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्रों पर आलू बीज उत्पादन

मिशन योजनान्तर्गत राजकीय क्षेत्र में आलू तथा शाकभाजी बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए इकाई लागत का शत-प्रतिशत अधिकतम रू. 35,000 प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान की व्यवस्था है। राजकीय आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों पर बीज की उपलब्धता तथा स्थानीय उपयुक्तता एवं अनुकूलता के आधार पर बीज उत्पादन के कार्यक्रम-रबी मौसम में कार्यान्वित कराये जाने है। शासन से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में राजकीय विभागीय प्रक्षेत्रों पर आलू बीज उत्पादन के आवंटित लक्ष्य के अनुक्रम में नान मिशन जनपद-बाबूगढ़ (हापुड़) एवं बालापुर (बहराइच) को छोड़कर मिशन योजना से आच्छादित विभिन्न विभागीय प्रक्षेत्रों पर 120.27 हे0 में आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम कराया जाना है। जनपदवार राजकीय विभागीय प्रक्षेत्रों की सूची पृष्ठ सं0-56-60 पर प्रस्तुत है, जिसके सापेक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार अनुदान अनुमन्य है :-

(भौतिक हे0 धनराशि लाख रू. में)

| क्र. सं. | कार्यक्रम | निर्धारित लक्ष्य | | स्वीकृति हेतु प्रस्तावित | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | वित्तीय | भौतिक लक्ष्य | अनुमन्य अनुदान | प्रक्षेत्रों की संख्या |
| 1. | शाकभाजी एवं मसाला बीज उत्पादन | 250 | 87.50 | 120.27 | 42.0945 | 10 |

योजना गाइड लाइन के अनुसार राजकीय प्रक्षेत्रों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम के प्रस्तावों में फसल का उ0प्र0 बीज प्रमाणीकरण संस्था से पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण के उपरान्त टैग्ड कराना आवश्यक होगा तथा बीज उत्पादन के मानकों का अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ उक्त कार्यक्रम कार्यान्वित करने की अनुमति दिया जाना है। *कृपया उक्त पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।*

कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में शेष बीज उत्पादन कार्यक्रम के सापेक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायें।

2-आगामी रबी सीजन के अन्त तक राजकीय प्रक्षेत्रों पर एवं कृषक प्रक्षेत्रों पर 90000 से 100000 कुन्टल तक आलू बीज उत्पादन कराया जाय।

3- नवीन छोटी पौधशाला की स्थापना (सार्वजनिक क्षेत्र)

सार्वजनिक क्षेत्र में नवीन छोटी पौधशाला की स्थापना का एक प्रस्ताव जनपद-लखनऊ से प्राप्त हुआ है। प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का नाम प्रस्तावित कार्य एवं उनके सापेक्ष व्यय का विवरण प्रस्ताव में निम्नवत है :-

| क्र. सं. | पौधशाला का नाम | जनपद | प्रस्तावित कार्य | धनराशि लाख रू. में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आधुनिक पौधशाला, अलीगंज, लखनऊ। | लखनऊ | स्थल विकास, जल निकास एवं मातृ खण्डों की स्थापना | 0.73 |
| | | | शेडनेट हाउस 500 वर्ग मी. | 3.55 |
| | | | पॉली हाउस 500 वर्ग मी. | 5.30 |
| | | | सिंचाई हेतु बोरिंग मय पम्प | 3.01 |
| | | | गेट, साइनबोर्ड, औद्यानिक उपकरण आदि | 0.30 |
| | | | मातृ वृक्षों की व्यवस्था | 0.20 |
| | | | वर्किंग शेड | 2.00 |
| | | | योग- | 15.09 या |

कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। ये भी निर्देश दिया गया कि आवश्यकतानुसार और प्रस्ताव प्राप्त कर स्वीकृत कराये जाय।

| | | |
|---|---|---|
| | 1. वर्गीकरण-ए के अन्तर्गत अंकित प्रजातियों की दरें एम0आर0पी0, बाजार भाव से कम तथा गत वर्ष की दरों की अपेक्षा समतुल्य अथवा कम है अतः इन दरों को अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की जाती है।<br>2. वर्गीकरण-बी के अन्तर्गत अंकित प्रजातियों की दरें एम0आर0पी0 से कम परन्तु नकद मूल्य पर विक्रय हेतु उपलब्ध बाजार भाव से अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक हैं अतः इन दरों को अनुमोदन किये जाने की संस्तुति की जाती है।<br>3. वर्गीकरण-सी के अन्तर्गत अंकित प्रजातियों की बाजार भाव एवं गत वर्ष की दरें उपलब्ध नहीं है परन्तु इन प्रजातियों की दरें प्रथमबार निविदा के माध्यम से प्राप्त हुयी हैं परन्तु एम0आर0पी0 से कम हैं अतः इन प्रजातियों की दरों को भी अनुमोदित किये जाने की संस्तुति की जाती है। कृपया उक्त पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। | |
| 7. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु। | - | |

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(बी.एन. गर्ग)
कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन/
अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0।

# राज्य औद्यानिक मिशन, उत्तर प्रदेश

उद्यान भवन, 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ।
Tel. 0522-4044414, 2623277,4009498 Fax : 0522-2621382 web : http://shm.up.nic.in email : dirhorti@rediffmail.com

पत्रांक-रा0औ0मि0 5978-6010/कार्यपरिषद 23वीं बैठक/2014-15/ दिनांकः 20 अक्टूर, 2014

**प्रतिलिपि-राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0 की कार्य परिषद की दिनांक 16.10.2014 को सम्पन्नित 23वीं बैठक की कार्यवृत्त संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-**

1. संयुक्त सचिव मिशन, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव/सहायक निदेशक, एन.एच.बी, लखनऊ।
8. परियोजना समन्वयक, कृषि विविधीकरण परियोजना, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
9. निदेशक, उ0प्र0 राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
10. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. निदेशक, भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान, जक्खिनी, वाराणसी।
12. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
13. निदेशक, केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान (सीमैप), पिकनिक स्पॉट रोड, लखनऊ।
14. निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, सिकन्दरबाग, लखनऊ।
15. कुलपति, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
16. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
17. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ।
18. महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार), किसान मण्डी भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
19. निदेशक, नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (एन.आई.सी.), योजना भवन, लखनऊ।
20. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड), 18-बी अशोक मार्ग, लखनऊ।
21. संयुक्त निदेशक, सी.पी.आर.आई., मोदीपुरम्, मेरठ।
22. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.डी.सी., सहकारिता भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
23. मिशन निदेशक/निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0।

24. वरिष्ठ निरीक्षण अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय भवन, 9वां तल, हॉल अलीगंज, लखनऊ।
25. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उद्यान भवन लखनऊ।
26. श्री डी.के. शर्मा, 372 सिविल लाइन्स-2, बिजनौर, उ0प्र0।
27. श्री विजय कुमार सिंह, पौधशाला स्वामी, ग्रा.एवं पो0- माल, लखनऊ।
28. स्टाफ आफिसर एवं विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
29. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
30. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 शासन।
31. वित्त अधिकारी, राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0।
32. नोडल अधिकारी, राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0।
33. मिशन मैनेजर (प्री हार्वेस्ट/प्रबन्धक एवं पोस्ट हार्वेस्ट), राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0।

(एस.पी. जोशी)
निदेशक।